संख्या– 1093 /IV(2)-श0वि0–2016–19(सा0)/16

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक : 29 जून, 2016

विषयः **Ease of Doing Business के कियान्वयन हेतु आवास विभाग द्वारा प्रख्यापित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (संशोधन–2015) को समस्त स्थानीय निकायों में लागू किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 962/IV(2)–श0वि0–2016–19 (सा0)/16, दिनांक 13.06.2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा Ease of Doing Business कार्यकम के कियान्वयन हेतु आवास विभाग द्वारा प्रख्यापित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (संशोधन–2015) को यथावश्यकतानुसार सम्बन्धित स्थानीय निकायों में निकाय बोर्ड की सहमति/संस्तुति से अंगीकृत कराये जाने के निर्देश निर्गत किये गये थे।

इस सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में आंशिक संशोधन करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास विभाग द्वारा तैयार की गयी उक्त भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम 2011 (संशोधन–2015) को ऐसे स्थानीय निकायों, जो विकास प्राधिकरण/विनियमित क्षेत्र से बाहर हैं, में तत्काल अंगीकृत कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त उपरोक्त उपविधि/विनियम के प्राविधान वृहद् स्तर के व्यवसायिक भवनों पर ही लागू होंगे। एकल आवासीय भवनों व लघु व्यवसायिक भवनों पर उपरोक्त उपविधि/विनियम के प्राविधान लागू नहीं होंगे।

उक्त शासनादेश संख्या 962/IV(2)–श0वि0–2016–19 (सा0)/16, दिनांक 13.06.2016 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

संख्या– 1093 / IV(2)-श0वि0–2016–19(सा0) / 16, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यान, विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
3. सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन को उक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त गढ़वाल / कुंमाऊ मण्डल, पौड़ी / नैनीताल को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को उक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. अधिशासी अधिकारी, समस्त नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत उत्तराखण्ड (द्वारा शहरी विकास निदेशालय) को उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डी0एम0एस0 राणा)
उप सचिव।